## बिहार विधान-सभा वाद्वृत

बृहस्पतिवार तिथि २१ सितम्बर, १९७२।

---

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २१ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ६ बजे उपाध्यक्ष, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

---

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना :

श्री दारोगा प्रसाद राय—महोदय, मैं षष्ठ विधान-सभा, १९७२ के अनागत, अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूँ। (*)

---

पाद टिप्पणी (*) उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें।

(४) क्या यह बात सही है कि ४ मार्च १९७२ को श्री सी० आर० मुखर्जी ने शिकायत की थी; यदि हां, तो उसपर क्या कारवाई की गयी;

(५) क्या यह बात सही है कि ४ मार्च की शिकायत पुस्तिका जाली थी; यदि हां, तो संबंधित व्यक्ति पर सरकार क्या कारवाई करने जा रही है?

प्रभारी मंत्री, परिवहन विभाग—(१) मुजफ्फरपुर डिपो और बस स्टैंड समीप हो है, इसलिये शिकायत पुस्तिका मुजफ्फरपुर डिपो ऑफिस में न रखकर बस स्टैंड ऑफिस में ही रखने की व्यवस्था की गई है।

(२) हां, वहां दो शिकायता पुस्तिका है—एक मुजफ्फपुर-सीतामढ़ी मार्ग के लिये और दूसरा अन्य मार्गों के लिये। आमतौर से साधारणतः शिकायत पुस्तिकायें प्रतिष्ठान अधीक्षक के यहां भेजी जाती हैं और जब कोई खास गम्भीर शिकायत रहती है तो उसे प्रमंडलीय प्रबंधक के यहां उचित कारवाई के लिये अग्रसारित किया जाता है।

(३) इस अवधि में मुजफ्फरपुर प्रतिष्ठान में कुल ३१ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से कुछ पर पूरी कारवाई हो चुकी है और जो कर्मचारी दोषी पाये गये उन्हें उचित दंड दिया गया। बाकी शिकायतों की जांच की जा रही है और जो कर्मचारी दोषी पाये जायेंगे उन्हें उचित दंड दिया जायगा।

(४) यह बात सही है कि ४ मार्च १९७२ को श्री सी० आर० मुखर्जी ने शिकायत को था। सम्बन्धित संवाहक के विरुद्ध अभियोग-पत्र निर्गत किया गया है। उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर मामले की जांच की जायेगी और यदि दोषी पाये गये तो उन्हें उचित दंड दिया जायगा।

(५) शिकायत पुस्तिका जाली नहीं थी। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कारवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

---

## प्रशिक्षित शिक्षक के संबंध में

क-११३। श्री ए० के० राय—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि स्नातक शिक्षक जो १५ साल से शिक्षक हैं एवं ४५ साल उम्र के हैं; उनलोगों को सरकार ने प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में काम लेने का निर्णय किया है क्योंकि प० बंगाल एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसी व्यवस्था है ;

(२) यदि उक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त निर्णय को कबतक सरकार कार्यान्वित करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मन्त्री, शिक्षा विभाग—(१) उत्तर नकारात्मक है। ४५ वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षकों के लिये लघु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इस परीक्षा में सफल होने के बाद प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतनमान मिल सकता है।

(२) प्रथम कंडिका के उत्तर के बाद यह प्रश्न नहीं उठता।

---

## कबैया पुल का निर्माण

सामु०-८५। श्री रमई राम एवं श्री युवराज—क्या मन्त्री, सामुदायिक विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पिछले चार वर्ष पूर्व सामुदायिक विकास के तत्कालीन मन्त्री श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कबैया पुल (पूर्णियां) के निर्माण की स्वीकृति एवं अग्रिम राशि प्रदान करने के बावजूद भी अबतक निर्माण नहीं कराया जा सका है ;

(२) क्या यह बात सही है कि अबतक कबैया पुल के लिए अधीक्षण अभियंता, भागलपुर ने कार्यादेश नहीं निर्गत किया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि कबैया पुल से संबंधित सड़क पर काफी मिट्टी डालने की आवश्यकता है ,

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो पुल का निर्माण एवं मिट्टी डालने का काम कबतक प्रारम्भ होगा और यदि नहीं, तो क्यों ?